संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

महत्वपूर्ण

क्रमांक / आई.डी.एस.पी / 2021 / 513 भोपाल,दिनांक 13 / 04 / 2021

प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र।
2. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र।

विषयः– कुंभ मेले जाने वाले व्यक्तियों के परीक्षण एवं क्वारंटाईन करने के संबंध में।

विषयांतर्गत लेख है कि वतर्मान में हरिद्वर में कुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है एवं बड़ी संख्या में कुंभ में प्रतिभागिता हेतु इच्छुक व्यक्तियों द्वारा जिलों में कोविड परीक्षण किया जा रहा है ।

निर्देशित किया जाता है कि :–

1. इच्छुक कुंभ यात्रियों का कोविड–19 की जॉच हेतु आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित की जाये तथा जाने वाले यात्रियों का ट्रेवल प्लान ट्रेक किया जाये।
2. साथ ही, कुंभ से लौटने वालों का चिन्हांकन कर न्यूनतम 10 दिवस हेतु क्वारंटाईन किया जाये।
3. निरंतर 3 दिवस तक बुखार न होने एवं कोई लक्षण न होने पर उन्हें चिकित्सीय आंकलन उपरांत 7 दिवस तक स्व–निगरानी करने की सलाह देकर छुट्टी का परामर्श दिया जा सकता है।
4. क्वारंटाईन अवधि में लक्षण उत्पन्न होने पर तत्काल कोविड–19 की जॉच कराई जाये तथा लक्षणों के गंभीरता के आधार पर उचित स्वास्थ्य संस्थाओं में उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

<u>अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा द्वारा अनुमोदित</u>

(आकाश त्रिपाठी)
स्वास्थ्य आयुक्त सह सचिव,
मध्यप्रदेश

क्रमांक / आई.डी.एस.पी / 2021 / 514 भोपाल, दिनांक 13 / 04 / 2021
प्रतिलिपिः– सूचनार्थ।

12. अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, म.प्र।
13. आयुक्त सह सचिव स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल म0प्र0
14. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा,म.प्र।
15. मिशन संचालक, एन.एच.एम., म.प्र।
16. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र।
17. संचालक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, म.प्र।
18. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र।
19. समस्त कलेक्टर, म.प्र।
20. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र।
21. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, म.प्र।
22. प्रभारी, कोविड–19 नियंत्रण कक्ष, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र।

(आकाश त्रिपाठी)
स्वास्थ्य आयुक्त सह सचिव,
मध्यप्रदेश